उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग
संख्या : 338/28-1-2009
लखनऊ :: दिनांक : 06 मार्च, 2009

अधिसूचना/संशोधन

Mutual Transfer (पारस्परिक स्थानान्तरण) एवं Spouse Policy (दाम्पत्य नीति) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड से एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या 194/28-1-2009, दिनांक 04 फरवरी, 2009 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है -

विद्यमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
प्रस्तर-1: Genuine Hardship (वास्तविक व्यथा) के अन्तर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधा:-	प्रस्तर-1: Medical Hardship (चिकित्सकीय व्यथा) के अन्तर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधा:-
प्रस्तर-1 (ज) : यदि पति-पत्नी दोनों ही शासकीय सेवा में हैं तो पत्नी के विकल्प के आधार पर ही समायोजन किया जायेगा।	प्रस्तर-1 (ज) : केवल पत्नी को ही यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने प्रदेश में कार्यरत रहना चाहती है या अपने पति के तैनाती के प्रदेश में सेवा करने हेतु स्थानान्तरण चाहती है।
प्रस्तर-1 (थ) : उपरोक्त में वर्णित दाम्पत्य नीति की सुविधा उस हालत में भी प्रदान की जायेगी जबकि पति एवं पत्नी दोनों स्टेट कैडर से इतर जिला एवं मण्डल काडर के कर्मी हों।	प्रस्तर-1-(थ) : उपरोक्त वर्णित दाम्पत्य नीति की सुविधा उस हालत में भी प्रदान की जायेगी जब कि पति एवं पत्नी दोनों स्टेट कैडर या तत्कालीन पर्वतीय उप संवर्ग के कर्मी हों।
प्रस्तर-4 : राज्य परामर्शीय समिति के निर्णयानुसार केवल लम्बित मामलों को छोड़ते हुये उत्तरवर्ती राज्यों के कार्मिकों के बीच हुये आपसी समझौते पर आधारित पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा तात्कालिक प्रभाव से समाप्त की जाती है।	प्रस्तर-4 : पारस्परिक स्थानान्तरण की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2009 तक बढ़ा दी जाये तथा इस अवधि में प्राप्त नये प्रकरण और वे पुराने प्रकरण जिन्हें कालबाधित होने के कारण निरस्त कर दिया गया था, को भी सम्मिलित करते हुये गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाये।

आज्ञा से,
Rajendra
(आर0एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 338 (1)/28-1-2009, तद दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(4) अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कक्ष संख्या 109, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
(5) उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, तृतीय तल, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, तृतीय तल, लोक नायक भवन, ख़ान मार्केट, नई दिल्ली।
(6) पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य परामर्शीय समिति, 3/7, एफ ब्लॉक, सप्तम् तल, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
(8) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) सचिव, राज्य पुनर्गठन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(10) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, कैम्प कार्यालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आगामी गजट में इसको प्रकाशित करने तथा उसकी 1000 प्रतियाँ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Rajendra

(आर0एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।